न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 119/2022
वादी :-
1. भेराराम पुत्र पोलाराम
2. सूरजाराम पुत्र पोलाराम जातियान जाट निवासीगण कानावासिया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थितिः-वादी - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 - सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 20/01/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानावासिया चक संख्या प्रथम तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। तथा वादीगण का सेटलमेन्ट से पूर्व तथा पश्चात इस भूमि पर 36 बीघा 2 बिस्वा पर लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा के चारो ओर सीवमाठ बनी हुयी है, जो शुरू से ही एक जगह पर है तथा वादीगण का खेत खसरा नम्बर 18 काकण माट पर स्थित है। सेटलमेण्ट के समय राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा के बजाय खसरा नम्बर 18 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा को दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीगण का शुरू से ही भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा पर ही कब्जा व काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी खतौनी बंदोबस्त का नक्शा भी वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा का जारी किया हुआ है, लेकिन जमाबंदी में भूमि का रकबा कम दर्ज कर दिया गया है, जो एक लिपीकीय भूल है। वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा की जमाबंदी संवत् 2026 से 2029, 2038 से 2041, 2043 से 2046, 2051 से 2054 जारी की हुयी है, लेकिन आगे की जमाबंदी में वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा के बजाय खसरा नम्बर 18 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा दर्ज कर दिया गया है, जो एक लिपीकीय त्रुटी है। वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा का नाप करवाया, जिस पर वादीगण का मौके पर 36 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जा है तथा राजस्व रेकर्ड नक्शा भी कुल 36 बीघा 2 बिस्वा का जारी किया हुआ है, लेकिन बीना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करने से राजस्व कर्मचारियों ने मना कर दिया, इस कारण वादीगण को घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती के लिये यह दावा पेश करना पड़ रहा है। दावे के साथ संलग्न नक्शे में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को A,B, C, D, E, के रूप में तथा मौके पर गड्डा के रूप में बतायी गयी है, को अ ब स द भाग में बताया गया है। जिसको वादीगण की खातेदारी की भूमि घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 18 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा की रेकर्ड में दर्ज कर तरमीम इन्द्राज

की जावें। भूमि खसरा नम्बर 18 के आस पड़ौस के खातेदारान का कोई हक प्रभावित नही होता है इस कारण उनको दावे में पक्षकार नही बनाया गया है। वादकारण वक्त सेटलमेण्ट खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा के बजाय खसरा नम्बर 18 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा खतौनी व जमाबंदी में इन्द्राज कर देने पर तथा बाद मौका जांच नाप के भी रकबा दुरूस्त नही करने पर मुकाम कानावासिया पैदा हुआ।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी को ग्राम कानावासिया चक प्रथम की भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा का रकबा घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश फरमावें तथा दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बताये गये अ ब स द भाग को वादी की खातेदारी की खसरा नम्बर 18 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा की भूमि को नक्शा ट्रेस में भूमि तरमीम का भाग समझा जाने का आदेश फरमावें। अन्य आदेश जो वादीगण के हित में हो दिलाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानावासिया चक सं. प्रथम की जमाबंदी चौसाला 2075-2078 के खाता सं. 44 में दर्ज खसरा नंबर 18 रकबा 2.4432 हैक्टयर वादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादीगण का बराबर-बराबर हिस्सा है। ग्राम कानावासिया की खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2030 के खाता सं. 2 में खसरा नंबर 18 का रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा वादीगण के पिता पीरा वल्द पना कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा जमाबंदी चौसाला 2026 से 2029, व 2051 से 2054 की फोटोप्रति पेश कर खसरा नंबर 18 रकबा 36-02 बीघा होना बताया जबकि जमाबंदी चौसाला 2055 से 2058 व उसके बाद के जमाबंदी चौसाला में रकबा 15-02 बीघा दर्ज है। पटवारी हल्का ने मौखिक रूप से बताया कि मौके पर कब्जा 36-02 बीघा पर है तथा लट्ठा ट्रेस में भी आकृति (यानि इस खसरा नंबर 18) का क्षेत्रफल निकालने पर 36-02 बीघा बनता है प्रार्थी राजस्व नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में रकबे की दुरूस्ती चाहता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कानावासिया चक प्रथम के खसरा नंबर 18 रकबा 15-02 बीघा के स्थान पर 36-02 किये जाने पर ग्राम के रकबे में बढोतरी हो जायेगी। जिसमें भूमिधारी की सहमति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम कानावासिया की खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2030 के खाता सं. 2 में खसरा नंबर 18 का रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा वादीगण के पिता पीरा वल्द पना कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार जमाबंदी चौसाला 2026 से 2029, व 2051 से 2054 में खसरा नंबर 18 रकबा 36 बीघा 02 बिस्वा अंकित किया गया। उसके बाद की जमाबंदी चौसाला 2055 से 2058 व उसके बाद के जमाबंदी चौसाला में खसरा नंबर 18 रकबा 15-02 बीघा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। वर्तमान

जमाबंदी चौसाला 2075-2078 के खाता सं. 44 में दर्ज खसरा नंबर 18 रकबा 2.4432 हैक्टयर वादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट कथन किया कि ग्राम कानावासिया चक प्रथम के खसरा नंबर 18 रकबा 15-02 बीघा के स्थान पर 36-02 किये जाने पर ग्राम के रकबे में बढोतरी हो जायेगी जिसमें भूमिधारी की सहमति नहीं होना बताया। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमिधारी की सहमति नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:- आदेश -:

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तहसीलदार बिलाडा की सहमति के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/01/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- भैराराम **बनाम** **प्रतिवादीगण :-** सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 119/2022 **दिनांक :-** 20/01/26

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तहसीलदार बिलाडा की सहमति के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा